झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-12 14 पौष, 1928 शकाब्द
राँची, वृहस्पतिवार 4 जनवरी, 2007

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

2 जनवरी, 2007

विषय :सचिवालय निजी सहायक संयुक्त संवर्ग के वरीय सहायक को आप्त सचिव के पदनाम से पदनामित करने के संबंध में ।

संख्या-28--फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर राज्य सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के वरीय निजी सहायक तथा आप्त सचिव दानों के लिए दिनांक 1 जनवरी, 1996 से एक पुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500/- की स्वीकृति दी गयी है । ऐसी परिस्थिति में अब वरीय निजी सहायक से आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नति देय नहीं है । परिवर्तित स्थिति में वरीय निजी सहायक एवं आप्त सचिवों के पदों से समेकित वरीयता सूची के आधार पर ''सचिव के सचिव'' के पद पर प्रोन्नति देने हेतु वरीय निजी सहायक के पदों को आप्त सचिव के रूप में पदनामित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

उपर्युक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने वरीय सहायक के पदों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से आप्त सचिव के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया है ।

वरीय निजी सहायक के पदों को आप्त सचिव के रूप में पदनामित किये जाने के फलस्वरूप वर्त्तमान में वरीय निजी सहायक के पदधारक आप्त सचिव के पदनाम से जाने जायेंगे । वरीय निजी सहायक तथा इसके पुनर्नामित पद ''आप्त सचिव'' के पद पर कोई नई प्रोन्नति तबतक नहीं दी जायेगी, जबतक कि विभिन्न स्तरों के पदों की संख्या निर्धारित नहीं कर दी जाती है । झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक संयुक्त संवर्ग नियमावली के गठन हो जाने के पश्चात् अन्य पदों के संवर्ग बल तथा उन पदों पर प्रोन्नति आदि के संबंध में प्रक्रिया आदि का निर्धारण किया जायेगा ।

Published on State Portal of Jharkhand (http://www.jharkhand.gov.in)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 12-300--शनि मुण्डा ।

Published on State Portal of Jharkhand (http://www.jharkhand.gov.in)